राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/Wage/2010 जयपुर, दिनांक 19 DEC 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के शेष रहे समय हेतु श्रमिकों की मांग **फार्म न. 6 में प्राप्त करने के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति में लगभग 3 माह का समय शेष है। योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर प्रत्येक परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत अलग–अलग समय के लिए रोजगार की मांग एक साथ भी की जा सकती है।

योजनान्तर्गत पिछले वर्षों की प्रगति प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत माह दिसम्बर से माह मार्च तक श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग बढती है। अतः इस संबन्ध में इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में सुनियोजित रूप से मांग के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि कार्य की मांग करने वाले इच्छुक परिवारों से फार्म न. 6 प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावें :–

1. दिसम्बर माह की शेष रही ग्राम सचिवालय के लिए **नियत तिथि 20 एवं 27 तारीख को मांग प्राप्त करने हेतु फार्म न. 6 में रोजगार की मांग की कार्यवाही की जावे एवं फार्म प्राप्ति की रसीद आवश्यक रूप से श्रमिकों को दी जावे।** एक ही फार्म में अलग–अलग पखवाडे के रोजगार की मांग की जा सकती है एवं यथा संभव वित्तीय वर्ष के शेष रहे पूर्ण समय के लिए मांग प्राप्त की जावे।

2. फार्म न. 6 की प्राप्ति के लिए **व्यापक प्रचार–प्रसार** भी किया जावे ताकि आम ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिल सकें।

3. इस प्रकार से प्राप्त रोजगार की मांग के आधार पर स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की जावे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि रोजगार की मांग प्राप्त करने वाले समस्त परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है अथवा नही। पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत नही होने की स्थिति में नई स्वीकृतियां पूर्व में जारी कर ली जावे। किसी ग्राम पंचायत में सैल्फ में कार्य उपलब्ध नही होने की स्थिति में कार्य की आवश्यकता होने पर ग्राम

पंचायत की सिफारिश के आधार पर नये कार्य स्वीकृत किये जा सकते है। इन कार्यों का अनुमोदन पंचायत समिति एवं जिला परिषद से कार्योत्तर करा ली जावे।

4. रोजगार की मांग के आधार पर नरेगा सॉफ्ट से संबन्धित पखवाडे की ई–मस्टररोल अग्रिम रूप से भी जारी की जा सकती है। अतः अग्रिम रूप से ई–मस्टररोल जारी कर ली जावें।

इस प्रकार की कार्यवाही से ना केवल मांग करने वाले परिवारों के 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने में सहायता मिलेगी बल्कि पूर्व में ही श्रमिक नियोजन की सूचना उपलब्ध होने सें ई–मस्टररोल समय पर जारी करने, सामग्री आदि की व्यवस्था करने, कार्यों की उपलब्धता एवं उन्हें पूर्ण करने आदि में सहायता मिलेगी।

भवदीय

16/1/11

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस